उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0: सी. 65 /सावधि जमा/2017-18 दिनांकः 9-11-17

समस्त शाखा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश ।

संशोधित

विषयः-सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन।

कृपया बैंक के परिपत्र संख्या सी-93/सावधि जमा/2016-17 दिनांक 23.11.16 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा सावधि निक्षेपों पर दिनांक 25.11.2016 से देय ब्याज सम्बंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

आप अवगत ही है कि भारत सरकार द्वारा माह नवम्बर 2016 में पुराने नोटों के बन्द करने का निर्णय लिया गया था, तदउपरान्त देश की अधिकांशतः सार्वजनिक एवं व्यवसायिक बैंको द्वारा सावधि निक्षेपों पर ब्याज दरों में कमी की गयी है। सावधि निक्षेपों पर अन्य सभी व्यवसायिक बैंकों की ब्याज दरो एवं बैंक की वित्तीय तरलता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक की सावधि जमा योजना में दिनांक 06.11.17 अथवा इसके पश्चात जमा व नवीनीकृत होने वाली सभी प्रकार की अवधि में किये गये सावधि निक्षेपों पर बैंक द्वारा निम्न अवधि के अनुसार ब्याज दर अनुमन्य किया जाता है।

अतः नई सावधि जमा तथा परिपक्व होने वाली सावधि जमा के नवीनीकरण की दशा में निम्न ब्याज दरें दिनांक 06.11.2017 से निम्नवत होंगी :-

अवधि	दिनांक 06.11.2017 से प्रभावी ब्याज दरें।
1 वर्ष	6.60 प्रतिशत
1 वर्ष से अधिक	6.25 प्रतिशत

नोटः-

1. शाखाओं द्वारा कम से कम एक वर्ष के लिए सावधि-जमा स्वीकार किया जायेगा।
2. वरिष्ठ नागरिकों को उपरोक्त ब्याज दर पर 0.25 % अधिक वार्षिक ब्याज दर अनुमन्य होगी।
3. बैंक स्टाफ को उपरोक्त ब्याज दर पर 0.50 % अधिक वार्षिक ब्याज दर अनुमन्य होगी जो सेवा निवृत्त स्टाफ के लिए भी प्रभावी होगी। किन्तु इस दशा में उन्हें वरिष्ठ नागरिकों को देय 0.25 % अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा
4. एक वर्ष से पूर्व परिपक्वतापूर्व निकासी की दशा में निम्न तालिका के अनुसार ब्याज दरें लागू होंगीः-

अवधि	दिनांक 06.11.2017 से प्रभावी ब्याज दरें।
7 दिन से 45 दिन तक	4.50 प्रतिशत
46 दिन से 179 दिन तक	5.50 प्रतिशत
180 दिन से 211 दिन तक	5.75 प्रतिशत
211 दिन से 364 दिन तक	6.00 प्रतिशत

शेष निर्देश यथावत रहेगे।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शाखा प्रबन्धक (जनपदीय स्तर) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, को इस निर्देश के साथ कि ई-मेल से प्राप्त उपरोक्त परिपत्र की प्रतियां अपने जनपद की समस्त शाखाओं को तत्काल प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. प्राचार्य, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. उप महा प्रबन्धक (कम्प्यूटर), को इस निर्देश के साथ कि बैंक की समस्त शाखाओं को ई-मेल कराना सुनिश्चित।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (सावधि जमा)